

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

खनिज साधन विभाग परिशिष्ट 'एक'
मंत्रालय, नई दिल्ली
प्रश्न सं. [क. 5364]

[23/3/2018]

35

आदेश :-

सोपान दिनांक 22 मार्च, 2008

सं. 19-23/2005/12/2 : राज्य शासन प्रदेश में अवैध उत्खनन
में परिवहन की रोकथाम के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित संरचना
ानुसार जिला स्तर पर निम्नानुसार टास्क फोर्स का गठन करता है :

- | | | |
|----|---------------------------------------|-------------------|
| 1. | जिला कलेक्टर, | अध्यक्ष |
| 2. | पुलिस अधीक्षक, | सदस्य |
| 3. | जिला वन अधिकारी | सदस्य |
| 4. | जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. | जिला परिवहन अधिकारी | सदस्य |
| | जिला खनिज अधिकारी, | सदस्य सचिव/संयोजक |

समिति का कार्यक्षेत्र :-

उपरोक्त समिति का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा :-

1. उनके कार्य क्षेत्र में अवैध उत्खनन एवं परिवहन से संबंधित
जानकारी/प्रकरण/मानलों का संकलन एवं समीक्षा की जाना।
2. की गई कार्यवाही की जानकारी राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष
को उपलब्ध कराना।

बैठक की कालावधि :

जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक माह में एक बार की जावे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल
के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-

(डॉ. देव राज बिरदी)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग.

अनुमानित अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

भारत सरकार, खान भद्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

वेब, मध्य प्रदेश शासन, वन/परिवहन/गृह (पुलिस)/आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

- 3. सहायक आयुक्त, मध्य प्रदेश
 - 4. सहायक कलेक्टर, मध्य प्रदेश
 - 5. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खनिज साधन विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल।
 - 6. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म मध्य प्रदेश भोपाल।
 - 7. नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो जबलपुर, मध्य प्रदेश।
 - 8. ज्वालक (खनि प्रशासन)/ खनि अधिकारी, जिला _____, म.प्र.
 - 9. वन मंडलाधिकारी, जिला _____ मध्य प्रदेश
 - 10. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), जिला _____, मध्य प्रदेश।
 - 11. जिला परिवहन अधिकारी, जिला _____, मध्य प्रदेश।
 - 12. क्षेत्रीय प्रमुख, प्रदूषण निवारण बोर्ड, जिला _____, मध्य प्रदेश
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अघेष्टित।



सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

अनुमान अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग